International Indexed, Refereed Research Journal, ISSN 2250-253x, (Print), E- ISSN 2320-544x, Issued -6, Vol- I, June, 2013

शोध पत्र- भूगोल

भारत सरकार का खाद्य प्रबंधन

* जगपाल सिंह

* शोध छात्र भूगोल विभाग, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनू

lkjka'k%&v/;;;u dk e[; mn's; Hkkjr ljdkj }kjk [kk| lqj{kk d s fy, fd;s tk jgs iz;klks dk v/;;u djuk gS ftlesa lokZP; oxZ ls fuEu oxZ rd [kk|ku dh vko';drk dh iwfrZ gks ldsA Hkkjr ljdkj [kk| lqj{kk ek/;e ls yksxksa dk thou Lrj mBkus vkgkjksa dh ikSf"Vdrk ds of} djus tSls mik;ksa dk viukuk pkgrh gSA

ifjp; %&

स्वतंत्रता के बाद से आज तक सभी के लिए खाद्य सुरक्षा एक राष्ट्रीय उदेश्य बन चुकी है। जहां पहले खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य पेट भर रोटी उपलब्ध होने से था वहीं आज खाद्य सुरक्षा से आश्य से भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहूंचके अलावा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वस्थ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रख–रखाव तक जा पहुचां है। भारत में हमेशा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता दिखाई गई है और यही वजह है, कि वर्ष 1960 में श्रीमति इन्दिरा गांधी के नेतृतव में हरित क्रांति की शुरूआत हुई। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी उसके हिसाब से हमने अन्न भी उपजाया लेकिन भूखमरी खत्म नहीं हुई। हरित क्रांति के बाद सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, डीजल सब्सिडी योजना आदि योजनाएं लागू की।

इसके अलावा 'काम के बदले अनाज' योजना के माध्यम से गरीबों को राहत देने का प्रयास किया गया फिर भी उम्मीदों के अनुरूप सुधार नही हुआ क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि इन योजनाओं में कुछ कमियां विद्यमान थी जिससे सरकार अवगत नही थी। परिणामस्वरूप खाद्यान घोटाले की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार को खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई। भारतीय सविधान की धारा 47 में यह प्रावधान है कि सरकार लोगों का जीवन–स्तर उठाने, आहारों की पोष्टिकता में वृद्वि करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने जैसे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करेगी। खाद्य सुरक्षा में पोष्टिक व कलौरी युक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायेगी। परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा हेतु अनेक योजनाएं लागू की है। जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और खाद्य सूरक्षा संबंधी समस्या भी हल हो सके।

भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे खाद्य प्रबंधन कार्यक्रमः–

1- jk"Vªh; —"kd uhfr%&

खाद्य सुरक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय कृषक नीति को लागू किया गया। इस नीति के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना, कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, किसानों को वित्तिय सहायता उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराना, आईसी. टी. की सहायता के साथ ग्राम स्तर पर ज्ञान, चौपाल और फर्म, स्कूल स्थिापित करना, यह सुनिश्चित करना कि किसानों के पास उत्पादन के लिए समाधान उपलब्ध है कि नहीं, अच्छी गुणवता के बीज का प्रयोग बढ़ाना आदि क्रियाएं भी क्रियान्वित करना इस नीति में शामिल है।

2- [kk| lqj{kk fo/ks;d%&

खाद्यान सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने 2010 में खाद्य सुरक्षा विधेयक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत पहले साल देश के सबसे वंचित एक चौथाई जिलों के सार्वजनिकरण की सिफारिश की गई है। इस विधेयक के प्रावधान निम्नलिखित हैः–

(क) निर्धनता रेखा से निचे रहने वाले प्रत्येक परिवार प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल (3 रूपये प्रति किलोग्राम), 35 किग्रा. गेहूं (2 रूपये प्रति किग्रा.) की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त करने के हकदार है।

(ख) प्रत्येक एकल परिवार एक पृथक परिवार माना जाएगा।

(ग) खाद्य सुरक्षा संबंधि योजनाएं जैसे मध्याह्न भोजना योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना / जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पालन गृह योजना आदि अन्य योजनाएं वर्तमान में चलती रहेंगी।

(घ) उचित मूल्य दूकानों को प्रबंधन सरकारी या अर्द्वसरकारी संगठनों या ग्राम परिषदों द्वारा किया जाए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुएं बी. पी.एल. परिवारों के दरवाजे तक पहूचाई जाएं।

(ड़) विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाले पेंशन की धनराशी 400 रूपये प्रतिमाह हो तथा 6

माह की गर्भवती महीला को गर्भ के 7 वे महीने से प्रसव होने तक 1000 रू. प्रतिमाह की दर से मातृत्व भत्ता दिया जाएं।

इसके अलावा वर्ष 2011 के विधेयक में गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए कानूनी अधिकार का रास्ता तैयार करने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप को मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने 11 जुलाई, 2011 को स्वीकृति दे दी है। इसमें 75 प्रतिशत ग्रामिण जनसंख्या को सस्ता अनाज देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को सस्ती दर पर खाद्यान उपलब्ध होगा अर्थात कुल मिलाकर देश कि 68 प्रतिशत जनसंख्या को यह लाभ मिलेगा।

3- [kk| lfCl Mh ;kstuk&

खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार समय–समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है ताकि खाद्य संकट पैदा न हो। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग दिसम्बर 2009 के आकड़ो के अनुसार सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 में 17,494 करोड़ रूपये खाद्य सब्सिडी प्रदान की गई। ठीक इसी प्रकार 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2008–09 और 2009–10 में क्रमशः 25746.45, 23071.00, 23827.59, 31259.68, 43668.08 और 26906.68 करोड़ रूपये की सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन द्वारा प्रतिवर्ष खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाती है।

4- oga —f"k çc/ku ;kstuk&

देश में खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने एवं किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2000–01 से सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा ग्रामीण जनता के जीवन–स्तर को कृषि परिदृश्य में अधिक प्रासांगिक बनाया जा सके।

Hkkjr dk vUrjk"Vh; Lrj ij [kk| lqj{kk e: ;kxnku

1- fo'o [kk| dk;Øe&

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भागीदारी है। वित्तवर्ष 2009–10 में विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए गरीबी रेखा से नीचे 48.512 टन खाद्यान का आवंटन किया गया और विश्व खाद्य सुरक्षा के कंट्री प्रोग्राम के जरिए भारत सरकार खाद्य सुरक्षा संबंधी विकास कार्य कर रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संबंधी परियोजनाएं इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, म.प्र., झारखण्ड, और राजस्थान में चलायी जा रही है। वहीं गुजरात, उत्तराखण्ड, उ.प्र., बिहार और तमिलनाडु में कंट्री प्रोग्राम योजनाएं चल रही है।

2- [kk| ,o —f"k laxBu&

वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली में खाद्य एवं कृषि संगठन विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्य कार्य पोषण, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, जीवन–स्तर में वृद्धि करना और विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली में विश्व खाद्य सुरक्षा पर बनी समिति एक फोरम के रूप में कार्य करती है। भारत खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य समिति का भी सदस्य है।

3- vrjk"Vh; vukt ifj"kn&

यह परिषद अनाज मामलों में सहयोग के लिए है। इसका सचिवालय 1949 से ही लंदन में है। यह परिषद फूड एण्ड कन्वेंशन के तहत् स्थापित फूड एण्ड कमेटी को भी सेवाएं प्रदान करती है। भारत गेहूं और अन्य मोटे अनाजों के मामलों में सहयोग के लिए निर्यात एवं आयात हेतु अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। इसलिए भारत को जुलाई 2003 में निर्यातक सदस्य के रूप में भारत ने वित्तवर्ष 2009–10 में परिषद को 17997.49 पौंड का भुगतान किया।

[kk| çc/ku d vU; mik;

1- [kk|ku diu ç.kkyh&

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसी दुकानों पर गेहूं–चावल की बिक्री प्रचलित बाजार मूल्य पर होनी चाहिए, परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की सम्भावनाएं कम होंगी। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त होगी जबकि निर्धनों की पहचान के लिए विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाए।

2- oc vk/kkfjr ç.kkyh&

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी वेबसाइड विकसित की जा सकती है जिस पर प्रत्येक लाभार्थी परिवार जो भोजन पाने का अधिकार कानून के तहत् खाद्यान्न की एक निर्धारित मात्रा रियायती मूल्य पर पाने का हकदार है, का विवरण उपलब्ध हो। इनके अलावा इसकी जांच वितरण केन्द्र पर अधिकारियों एवं लाभार्थी परिवार के मुखियां द्वारा कभी भी की जा सकती है।

3- cQj LVkd c<kuk vR;ko';d&

देश में जब से कृषि जिंसों के कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा वायदा कारोबार शुरू किया गया, तभी से खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। परिणामस्वरूप जमाखोरी को बढ़ावा मिला है। अतः इसकी रोक के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्वानुमान लगाकर बफर स्टॉक बनाए जाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार और जमाखोरी को रोका जा सके।

4- cgq&mi;kxh LekV dkMZ&

प्रौद्योगिकीय विकास के साथ–साथ बहु–उपयोगी स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आयी है। इन कार्डो के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार यदि सभी अर्ह परिवारों की पहचान, अधिकृत लेन–देन की जानकारी तथा प्राप्त खाद्यान्न के निर्गम के समय

इसकी पूष्टि की जा सकती है। विवरण की जानकारी भी ऑन लाइन हो जाने के कार्यक्रम की प्रगति भी आसान हो जाएगी।

[kk| lqj{kk ij tyok;q ifjorZu dk çHkko%&

जलवायु परिवर्तन भी खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जिसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि औसत तापमान एक डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो इससे हमारे यहां पैदा होने वाली फसलों की अवधि और अनाज के दानों के वजन में कमी आ जाएगी। इसके कारण हरित क्रांति से लाभान्वित हमारे प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मछुआरे और तटीय क्षेत्रों के निवासी शरणार्थी हो जाएंगे। परिणामस्वरूप केरल, गोवा जैसे राज्य और मुम्बई जैसे नगरों में यह स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। अतः चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। इसके लिए संभावित प्रभावों के बारे में अनुसंधान किए जाने चाहिए।

यह कहा जा सकता है कि भारत आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियां है जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था ''जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है।'' यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की सूचि में शामिल होना है, जो उसे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। विभिन्न समस्याओं से निपटने में भारत ने पिछले कुछ वर्षो में जो जोश एवं उत्साह दिखाया है उसे देखते हुए निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य की आशा की जा सकती है।

fu"d"kZ%&

यह कहा जा सकता है कि भारत आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियां है जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था ''जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है।'' यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की सूचि में शामिल होना है, जो उसे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। विभिन्न समस्याओं से निपटने में भारत ने पिछले कुछ वर्षो में जो जोश एवं उत्साह दिखाया है उसे देखते हुए निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य की आशा की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ

1. खाद्य विपणन बोर्ड भारत सरकार
2. खाद्य वितरण निगम राजस्थान सरकार